



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3638]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019 / कार्तिक 17, 1941

No. 3638]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/ KARTIKA 17, 1941

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

का.आ. 4039(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 74 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	पुरानी रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
74	22	83	विहार राज्य में सोनबरसा (इंडो/नेपाल सीमा), सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना [पुरानी रारा सं. 83 के किमी 0.000 से किमी 7.20 (मीठापुर आरओबी से राम गोविंद सिंह महली) तक को छोड़कर], पुनपुन, गया, बोध गया, डोभी, झारखंड राज्य में हंटरगंज, चतरा को जोड़ते हुए और चंदवा के निकट पर रारा-39 के साथ अपने जक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/9/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3725(अ), दिनांकित 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2019

S.O. 4039(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 74 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Old National Highways No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)	(4)
74	22	83	The highway connecting Sonbarsa (Indo/Nepal Border), Sitamarhi, Muzaffarpur, Hajipur, Patna [excluding from km 0.00 to km 7.20 (Mithapur RoB to Ram Govind Singh Mahuli) of old NH No. 83] Punpun, Gaya, Bodh Gaya, Dobhi in the State of Bihar, Hunterganj, Chatra and terminating at its junction with NH-39 near Chandwa in the State of Jharkhand.

[F. No. NH-14012/9/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Sey.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification no. S.O. 3725(E) dated 17th October, 2019.